न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स / 03 / 2014

मूर्ति श्री द्वारिकाधीश महाराज विराजमान मंदिर ग्रांम चक बहनेरा तहसील भरतपुर जरिये वाद मित्र वलवीर पुत्र वंगाली जाति खाती निवासी चक वहनेरा तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–चन्दन सिंह पुत्र करनसिंह जाति जाट निवासी ऊचा नगला तहसील व जिला भरतपुर
2–तहसीलदार भरतपुर

.....अप्रार्थी0

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध दाखिल खारिज संख्या 46 ग्रांम चक बहनेरा तहसील भरतपुर

निर्णय दिनांक 12.12.2017

प्रार्थी ने यह रेफरेन्स इस आश्य का पेश किया गया जो संक्षेप इस प्रकार है कि साविक आराजी खसरा नम्बर 146 रकवा 4 वीघा 9 विस्वा ग्रांम चक बहनेरा तहसील भरतपुर में प्रार्थी मूर्ति का मंदिर की आराजी में मंदिर स्थित है प्रार्थी के ही कूआ व प्याऊ आदि बने हुये हैं। उक्त आराजी पूर्व में राजस्व अभिलेख में सिवाय चक अंकित हो जाने से सरमन आदि को आंवटित कर दी थी और राजस्व अभिलेख में सरमन आदि को ऐलोटी अंकित कर दिया गया था, जब कि उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर की कब्जे खातेदारी की थी। प्रार्थी मूर्ति जरिये वाद मित्र चन्दनसिह एक दावा उक्त आराजी बाबत सरमन आदि ऐलोटीज के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क0ख0 संख्या 2 भरतपुर में प्रकरण संख्या 6 / 81 प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 29.1.96 को प्रार्थी के पक्ष में डिक्री हुआ है। आबटन वातिल व शून्य मानते हुये खसरा नम्बर 146 / 4–9 में बने मंदिर कूआ प्याऊ आदि पर प्रार्थी का कब्जा माना तथा सरमन आदि को पाबन्द भी किया गया है। सिविल न्यायालय के आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 7.9.96 को प्रार्थी मूर्ति के नाम तस्दीक किया गया है चूँकि इस दौरान बंदोवस्त कार्यवाही चल रही है और साविक खसरा नम्बर 146 / 4–9 से हाल नम्बर 16 / 0.65 बनाया गया था, इसलिये दाखिल खारिज हाल नम्बर पर ही स्वीकार किया गया था। अप्रार्थी चन्दन सिंह वाद में प्रार्थी मूर्ति का वाद मित्र था इसलिये चन्दनसिंह ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से साठ गांठ कर इन्तकाल नम्बर 46 ग्रांम चक बहनेरा में प्रार्थी मूर्ति के साथ स्वयं को महन्त दर्शाते हुये इन्द्राज दर्ज करा लिये और वह इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज कर दिये गये। जब कि सिविल न्यायालय के आदेश में मोहन सिंह अथवा महन्त आदि दर्ज करने के कोई आदेश नहीं थे।

.....2

मूर्ति श्री द्वारिकाधीश महाराज बनाम चन्दन वगे.

अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय को महन्त बता कर गलत इन्द्राज का फायदा उठाते हुये मूर्ति की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 16/0.65 को खुर्द वुर्द करने एवं नाजायज तरीके से विक्रय कर दीगर लोगों को काविल करने की योजना बनाली है। प्रार्थना की गई है कि रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर दाखिल खारिज संख्या 46 ग्रांम चक बहनेरा तहसील भरतपुर में किये गये महन्त चन्दन सिंह के इन्द्राज कमलजन करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर भेजा जावे।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी चन्दनसिंह की ओर जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। उभय पक्षकारान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की आराजी है। मूर्ती नाबालिग की श्रेणी में आती है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख संख्या 2 भरतपुर की पालना में विवादित नामान्तकरण भरा गया है। जो गलत है उनका तर्क है कि अप्रार्थी चन्दन सिंह सिविल न्यायालय में मूर्ति का वाद मित्र दावा में था उसके कोई हकूक विवादित आराजी जो कि मूर्ति की खातेदारी की थी उसमें नहीं थे ना ही न्यायालय सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री में कोई आदेश मोहन सिंह अथवा महन्त आदि दर्ज करने के हुये हैं। अप्रार्थी चन्दन सिंह ने कर्मचारियों से साठ गांठ कर नामान्तकरण संख्या 46 ग्रांम चक बहनेरा में प्रार्थी मूर्ति के साथ स्वयं को महन्त दर्शाते हुये इन्द्राज दर्ज करा लिये हैं। अप्रार्थी चन्दन सिंह गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर मन्दिर की आराजी को खुर्द बुर्द करने की फिराक में हैं। मूर्ति मन्दिर की भूमि पर महन्त चन्दनसिंह को कलमजन कराया जावे। उन्होने ने प्रार्थना की कि रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी न.1 ने अपने कथनों में जाहिर किया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 146 रकवा 4 वीघा 9 विस्वा मे अप्रार्थी चन्दन सिंह द्वारा निर्मित मंदिर कुआ प्याऊ बने हुये हैं। सिविल न्यायालय ने इस लिये मूर्ति मन्दिर के साथ अप्रार्थी चन्दन सिह महंत दर्ज करने के आदेश दिये हैं। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह रेफरेन्स पेश किया गया है। विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की है। मूर्ति नावालिग की श्रेणी में आती है। अप्रार्थी चन्दन सिह केवल मूर्ति मंन्दिर की देखभाल सेवा पूजा के लिये पुजारी दर्ज है। वह ना तो विवादित आराजी को बेच सकता है और नाही खुर्द बुर्द कर सकता है। सिविल न्यायालय के निर्णयानुसार ही राजस्व अधिकारीयों ने नामान्तकरण संख्या 46 दर्ज किया है। उनका यह भी तर्क है कि नावालिग मूर्ति की जमीन व इमारत की देखभाल करने के लिये किसी न किसी महंत की आवश्यकता होती है। अप्रार्थी केवल मूर्ति मन्दिर का महंत है ना कि खातेदार।अप्रार्थी चन्दन सिंह की ओर से फार्म न.3 के साथ प्रस्तुत नकल सत्यप्रतिलिपि न्यायालय आर.ए.ए.भरतपुर के अपील उनवानी मूर्ति मंदिर द्वारिकाधीश महाराज विराजमान मंदिर बनाम रमेशचंद वगे. निर्णय दिनांक 4.5.2017 प्रस्तुत किया। उन्होने प्रार्थना की विचाराधीन रेफरेन्स मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया।

Web Copy - Not Official

मूर्ति श्री द्वारिकाधीश महाराज बनाम चन्दन वगे.

विवादित नामान्तकरण संख्या 46 ग्रांम चक बहनेरा तहसील भरतपुर के अवलोकन किया गया। मुताविक मिलान क्षेत्रफल आराजी खसरा नम्बर 146/4–9 हाल खसरा नम्बर 16/0.65 बनाया गया है। विवादित नामान्तकरण के कालम नम्बर 9 में मूर्ति मन्दिर द्वारिकाधीश जी महाराज मंदिर चक बहनेरा खातेदार जरिये मंहत चंदनसिह पुत्र करनसिह जाति जाट सा. न. उचां का अंकन किया हुआ है। जमाबन्दी सम्वत् 2060 ग्रांम चक बहनेरा तहसील भरतपुर के कॉलम नम्बर 4 में मूर्ति मन्दिर के नाम साथ जरिये महन्त चन्दनसिंह पुत्र करनसिंह जाति जाट दर्ज है। मूर्ती मन्दिर सतत नाबालिग श्रेणी में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में मूर्ती को शास्वत नाबालिग माना गया है और एक नाबालिग मूर्ती मन्दिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार नही मिल सकते हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उद्वरित रुलिंग डीएनजे (3) 2011 पेज 1200 पर गौर किया गया, उद्यरित रुलिंग विचारधीन रेफरेन्स पर चस्पा नहीं होती है। मन्दिर मूर्ती सेवा पुजा के लिये पुजारी नियुक्त के लिये पृथक से प्रावधान हैं। मेरी विनम्र राय में यहॉ प्रश्न मूतिं मन्दिर के साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज महन्त चन्दनसिंह पुत्र करनसिंह के नाम को कलमजन कराने का है ना कि किसी व्यक्ति को मूर्ति की सेवा पुजा से रोकने का। चूँकि राजस्व रिकार्ड में महन्त चन्दनसिंह पुत्र करनसिंह का नाम गलत दर्ज होने से महन्त चन्दन सिंह मूतिं मन्दिर की आराजी को भविष्य में खुर्द बुर्द कर सकता है। अस्तु प्रस्तुत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को स्वीकार किये जाने हेत प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स माननीय राजस्व मंडल अजमेर को को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 7.9.1996 के कॉलम नम्बर 9 में किये गये अंकन मूर्ति श्री द्वारिकाधीश जी महाराज मंदिर चक बहनेरा खातेदार जरिये मंहन्त चंदन सिंह पुत्र करनसिह जाति जाट सा. न.ऊचा हो रहे इन्द्राज में से "जरिये मंहन्त चंदन सिंह पुत्र करनसिह जाति जाट सा. न.ऊचा" का नाम कलमजन किया जावे। इसी प्रकार विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 146/4–9 से बने हाल खसरा नम्बर 16/0.65 ग्रांम चक बरनेरा में हो रहे इन्द्राज में से "जरिये मंहन्त चंदन सिंह पुत्र करनसिह जाति जाट सा. न.ऊचा" राजस्व अभिलेख में से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जावें। पक्षकारान को हिदायत दी गई कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 15.2.2018 को उपस्थित हों।

.....4

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर